दस रुपये TEN RUPEES INDIA भारत COURT FEE

(8)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/0072

गोपाल पिता सुखा जाति भील, निवासी कलालिया
कृषक ग्राम रोजाना तहसील जावरा जिला रतलाम
— आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला रतलाम म.प्र.
2. संजय पिता बसंतीलाल, निवासी ग्राम रोजाना तहसील जावरा जिला रतलाम — अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के प्र.क्र. 73/अ–21/2016–17 में आदेश दिनांक 12–10–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा/18/0072 जिला **रतलाम**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुये आवेदक का संहिता की धारा 165(6) का आवेदन पत्र निरस्त किया है, क्योंकि भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित है इसलिये कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय पत्र संपादित नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	